राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(क)(या)(135)डीएलबी/15/15765-15766 दिनांक 28-12-2021

आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
नगर निगम,
जयपुर ग्रेटर/हेरिटेज।

विषयः– पशुओं एवं पशु डेयरियों हेतु लाईसेन्स के नियम बनाये जाने बाबत।
प्रसंगः– इस विभाग का पत्रांक 21209 दिनांक 24.09.19 एवं पत्र क्रमांक 6370 दिनांक 26.10.2020।

....

प्रांसगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 5728/19 संजय बाजार व्यापार मण्डल समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य Connected With डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 446/15, डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 21797/17 व डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 26359/18 में पारित आदेश दिनांक 05.08.19 द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान के लिए पशुओं एवं पशु डेयरियों हेतु लाईसेन्स के नियम बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

पशुओं एवं पशु डेयरियों हेतु लाईसेन्स जारी करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 247, 248 एवं 251 के अन्तर्गत नगरपालिकाएं अधिनियम की धारा–340 की उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) (iv) के तहत उपनियम विरचित करने हेतु सक्षम है। राज्य की समस्त नगरीय निकायों के लिए इस विषय पर उप–नियम बनाये जाने हेतु मॉडल उप–विधियां राज्य स्तर से जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.19 की पालनार्थ उप नियमों का प्रारूप 7 दिवस में भिजवायें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.19 के अनुरूप नगरपालिकाओं को मॉडल उपविधियो के प्रारूप का परीक्षण कर एडोप्ट करने हेतु भिजवाया जा सकें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः प.10(क)(या)(135)डीएलबी/15/15767-15997 दिनांक 28-12-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त/उपायुक्त, नगर निगम समस्त को भेजकर लेख हैं कि उपविधिया/उपनियमों का प्रारूप 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिशिचित करे।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद/नगर पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि उपविधिया/ उपनियमों का प्रारूप 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिशिचित करे।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करवाये।
4. निदेशक (विधि), नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/DLB/ramdham p/ latter 2014